न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला खैरथल–तिजारा

पीठासीन श्री मनीष कुमार जाटव (आर०ए०एस)

दावा सं० 147 / 19

उनवान– प्रभातसिंह बनाम मनोहरलाल वगै०

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राज०काश्त०अधि० 1955

प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 जा०दी०

उपस्थिति– प्रार्थीगण की ओर से श्री आनन्द कुमार जी वकील।
अप्रार्थीगण की ओर से श्री जनार्दन शर्मा जी वकील।

निर्णय दिनांक:– 02.07.2025

प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है:–

उक्त अनुवानी मुकदमा दावा न्यायालय श्रीमान में विचाराधीन है। वादी को हम प्रतिवादीगण के खिलाफ दिनांक 20.01.1992 को तथा अन्य किसी दिनांक को कोई वादकारण, बिनायदावी व बिनायमुखासमत पैदा नहीं होते है। जिनके अभाव में वादी का वाद विधि विरूद्ध होने के कारण चलने योग्य नहीं है, सव्यय खारिज होने योग्य है तथा इसी प्रथम स्टेज पर सव्यय खारिज फरमाया जावे।

वर्णित विवादित आराजी का बेचान वादी ने जरिये मुख्तयारआम गणेशीलाल महाजन हम प्रतिवादीगण के पूर्वजो को जरिये पंजिकृत बयनामा दिनांक 12.08.1975 को बेचान कर दिया तथा प्रतिफल की राशि प्राप्त कर मौके पर कब्जा करा दिया, तथा बयनामा विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों के तहत उप पंजीयक के समक्ष पंजीबद्ध करा दिया। जिस बयनामा के आधार पर इंतकाल बय दर्ज व तस्दीक होकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदारी का अंकन हो गया। तथा वर्तमान में हम प्रतिवादीगण विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है, तथा मौके पर काबिज है। तथा सही तथ्यो को वादी ने बतौर बदयान्ति छिपाते हुए, दावा हम प्रतिवादीगण के खिलाफ अदालत श्रीमान मे दायर किया है। वादी को हम प्रतिवादीगण के खिलाफ दावा दायर करने के लिए कोई वादकारण पैदा नही होता है। वादी ने दावा कानूनी प्रावधानों के खिलाफ पेश किया है। वादी विवादित आराजी से गैरकाबिज व गैरवास्ता है, हम प्रतिवादीगण वर्तमान मे अभिलिखित खातेदार है व मौके पर काबिज है। विधिक प्रकिया एवं प्रावधानो के अनुसार गैरकाबिज एवं गैरवास्ता शख्स के पक्ष में व काबिज व्यक्ति के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष पारित नही किया जा सकता है। इसलिए वादी हम प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज की डिक्री प्राप्त करने व हम प्रतिवादीगण को किसी कदर हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी नहीं है। बेचान करने के बाद बतौर बदयान्ति वादी ने मिथ्या मनगढत तथ्यो व दिनाक के आधार पर दावा अदालत श्रीमान मे हम प्रतिवादीगण को तंग व परेशान करने व मुकदमाबाजी मे फंसाकर आर्थिक एवं मानसिक नुकसान कारित करने व गलत हथकण्डे अपनाकर विवादित आराजी हड़प कर हमको विवादित आराजी से वंचित करने की नियत से पेश किया है। जो किसी कदर चलने योग्य नही है। और सव्यय खारिज होने योग्य है। खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)

उपरोक्त वर्णित सूरत में वादी का वाद विधि से वर्जित होने के कारण न्यायालय श्रीमान में चलने योग्य नहीं है। तथा जब वादी का मूल वाद ही चलने योग्य नहीं है तो उसका भाग प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी चलने योग्य नहीं है तथा कानूनन सव्यय खारिज होने योग्य है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर वादी व वाद विधि वर्जित होने के कारण प्रथम स्टेज पर ही सव्यय खारिज फरमाया जावे तथा उसका भाग प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी / वादी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि वादीगण को मौजूदा वाद के लिए दिनांक 20.01.1992 को बिनायदावी व बिनाय मुख्तारआम उनके द्वारा जबरन कब्जा करने की धमकी देने पर पैदा हुई है। इसलिए वाद प्रस्तुत करना लाजिम आया है। वाद में वर्णित कुछ आराजी का बेचान वादी के मुख्त्यारआम श्री गणेशीलाल महाजन ने प्रतिवादीगण से मिल्लत करते हुए रजीस्टर्न कराया था। जो विक्रय पत्र दिनांक 05.08.1975 को कराया गया है। जिस विक्रय पत्र में गत खसरा नं0 395 का रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा गलत तौर पर दर्ज करते हुए हाल खसरा नं0 509 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा दर्ज करते हुए उक्त विक्रय पत्र निष्पादन कराया गया है। जबकि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नं0 509 में गत खसरा नं0 395 का केवल 2 बीघा 9 बिस्वा शामिल किया गया है व हाल खसरा नं0 509 में गत खसरा नं0 396 रकबा 13 बिस्वा, 397 रकबा 6 बिस्वा व खसरा नं0 400 मिन रकबा 5 बिस्वा मिलाते हुए हाल खसरा नं0 509 कायम किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादीगण ने जो गत खसरा नं0 395 का रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा होना दर्ज किया है वो गलत है एवं प्रतिवादीगण ने वादी के मुख्त्यारआम से मिल्लत करते हुए गत खसरा नं0 395 का रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा गलत दर्ज कराया है। जबकि हाल खसरा नं0 394 का मिन रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा गलत तौर पर दर्ज किया गया है। जिसका हाल खसरा नं0 506 कायम किया गया है। जिस खसरा नं0 506 में गत खसरा नं0 394 का रकबा केवल 1 बीघा 7 बिस्वा दर्ज किया गया है व शेष 5 बिस्वा गत खसरा नं0 401 मिन दर्ज किया गया है। इस प्रकार जो हाल खसरा नं0 506 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा कायम किया गया है वह गत खसरा नं0 394 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा व 401 मिन रकबा 5 बिस्वा को शामिल करते हुए कायम किया गया है। किन्तु प्रतिवादीगण ने कथित विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व अभिलेख में अपने नाम का इन्द्राज गलत तौर पर दर्ज करा लिया। जिसकी जानकारी होने पर उक्त इन्द्राजात को जो विक्रय किये गये हिस्से से अधिक हिस्से का प्रतिवादीगण के नाम दर्ज कर दिया गया था, को दुरूस्त कराने हेतु मौजूदा वाद प्रस्तुत किया गया है एवं प्रतिवादीगण का कब्जा भी केवल उसी हिस्से पर है जो उनको विक्रय किया गया है। किन्तु प्रतिवादीगण उक्त विक्रय पत्र के आधार पर शामिल आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते थे इसलिए घोषणात्मक वाद व दुरूस्ती इन्द्राज के साथ साथ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी सही प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। जो किसी प्रकार से आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 से कवर नहीं होता है। मौजूदा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर महज वाद में तबालत पैदा करने की नियत से दुर्भावना पूर्वक प्रस्तुत किया गया है। जो मय खर्चा खारिज फरमाया जाने योग्य है। मौजूदा वाद सन 1992 में प्रस्तुत किया गया है जबकि मौजूदा प्रार्थना पत्र हाल ही में यानि 32 साल बाद प्रस्तुत किया गया है। जिस समय

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल-तिजारा)

मौजूदा वाद प्रस्तुत किया गया था उस समय आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का कोई प्रावधान नहीं था।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 मय खर्चा खारिज फरमाया जावे व अनुतोष सादिर फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वकील पक्षकारान ने बहस हेतु निवेदन किया। वकील पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पर सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 12.08.1975 को जरिये मुख्त्यारआम रजिस्टर्ड बयनामा कय की गई थी जिसका इंतकाल सं0 31 प्रार्थीगण के पक्ष में स्वीकार व दर्ज किया गया है तथा हाल राजस्व रिकार्ड में अंकन प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम बदस्तूर चला आ रहा है। विवादित आराजी पर प्रभासिंह के वारिसानो का कोई हक हकूक उत्पन्न नहीं होता है। मिलान क्षेत्रफल विवादित नहीं है क्योंकि पुराने रिकार्ड के हिसाब से जो नये खसरा नं0 पैमूद हुए है उसी रकबे का बेचान बयनामें द्वारा किया गया है। तथा न्यायालय अपील अधिकारी अलवर द्वारा भी सन् 2002 में प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण को विवादित आराजी का खातेदार घोषित किया गया है। अतः वादी उक्त वाद दायर करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर वाद वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थी/वादी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजूदा वाद में वादी प्रभासिंह के वारिस है। तथा मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर व साबिक खसरा नं0 के मिलान में बिसंगति है। प्रस्तुत बयनामा मूल खातेदार प्रभासिंह ने नहीं किया जबकि उसके मुख्त्यारआम के द्वारा किया गया है। तथा प्रस्तुत वाद घोषणात्मक व दुरूस्ती इन्द्राज हेतु प्रस्तुत किया गया है चूंकि विवादित आराजी वादीगण की दादालाई आराजी है इसलिए वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती कराने के कानूनी अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत वाद पर प्रभावी नहीं है। अतः प्रार्थना प्रार्थीगण मय हर्जा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रवाली में संलग्न सनद दिनांक 01.01.1970 सं0 931(70) के अनुसार ख0नं0 394 रकबा 2 बीघा 15 एवं ख0नं0 395 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा प्रभूसिंह पुत्र कुढियासिंह को प्राप्त हुई है। तथा संलग्न बयनामा के अनुसार प्रभासिंह के मुख्त्यारआम गणेशीलाल महाजन द्वारा प्रतिवादीगण चिरंजीलाल, मनोहरलाल, किशोरीलाल, रामसिंह पुत्रान सुखदेव को ख0नं0 395 रकबा 3 बीघा 12 बिस्व जिसका हाल खसरा नं0 509 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा पैमूद हुए है तथा खसरा नं0 394 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा जिसका हाल ख0नं0 506 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा पैमूद हुए है कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा का बेचान किया गया है। जिसका नामांतरण सं0 31 केतागण/प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण के नाम स्वीकार एवं दर्ज हुआ स्पष्ट होता है। तथा हाल जमाबंदीयात् में भी प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम का ही अंकन दर्ज रिकार्ड है। तथा प्रस्तुत निर्णय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 07.11.2002 के अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार कर

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल-तिजारा)

प्रार्थीगण/अपीलान्टान को आराजी खसरा नं0 हाल 506 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा एवं 509 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम तीतरका तहसील किशनगढबास जिला अलवर का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है तथा वादीगण/अप्रार्थीगण/रेस्पो0 प्रभुसिंह के नाम को उपरोक्त 5 बीघा 5 बिस्वा से कलमजन किये जाने के आदेश दिये गये है। अतः उपरोक्त विवेचन एवं संलग्न दस्तावेजो से स्पष्ट है कि विवादित आराजी का बेचान प्रार्थीगण के हक में जरिये मुख्त्यारआम रजि0 बयनामा द्वारा किया जा चुका है तथा बयनामा दिनांक 12.08.1975 को वादी द्वारा वादपत्र या बहस में न तो इनकार किया गया है, ना ही उसे फर्जी, नकली बताया गया है और ना ही बयनामे को आज दिनांक तक किसी न्यायालय में चैलेंज किये जाने या अवैध/नल एण्ड वॉइड घोषित किये जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है तथा उक्त बयनामें के आधार पर प्रार्थीगण के नाम नामांतरण स्वीकार व दर्ज रिकार्ड हो चुका है जो आज दिनांक तक बदस्तूर चला आ रहा है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील भी स्वीकार की जाकर खातेदार घोषित किया जा चुका है । अतः पूर्व में ही अपीलीय न्यायालय द्वारा विवादित विषयवस्तु पर समान पक्षकारों के मध्य उक्त प्रकरण का निर्णय किया जा चुका है। अतः वाद वादी बार्ड बाई लॉ से प्रमाणित होना साबित होता है। अतः दस्तावेजों एवं साक्ष्यों के आधार पर वादी अपने वाद को इस स्तर पर सिद्ध नहीं कर पा रहा है जिससे वाद वादी चलने योग्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र ओदश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास (खैरथल–तिजारा)